


राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
“कर-भवन”, अजमेर

कमांक : एफ-7(40)जन/2013/पार्ट-1/14252-702

दिनांक : 05.08.2013

अधिसूचना क्रमांक एफ.2(60)एफडी/टैक्स/12-52, एफ.2(60)एफडी/टैक्स/12-53, एफ.2(60)एफडी/टैक्स/12-54, एफ.2(70)एफडी/टैक्स/12-55, एफ.2(19)एफडी/टैक्स/2007-56 दिनांक 02.08.2013 दिनांक 08.07.2013 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक-डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचनाओं की प्रति अपने स्तर से भी अपने वृत्त के उप पंजीयकों को पालनार्थ शीघ्र भिजावें।
9. समस्त उप पंजीयकगण (पूर्णकालीन एवं पदेन), राजस्थान को पालनार्थ।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत्त-जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की वेबसाईट www.rajstamps.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी-सचिव,महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


(रिणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर


राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा एवं आवंटन) नियम, 2012 के अन्तर्गत भू-उपयोग परिवर्तन की अनुज्ञा हेतु नियम 4 के उप-नियम (1) या नियमितिकरण के लिए नियम 16 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ आवेदक द्वारा 'प्रशासन शहरों के संग अभियान' के दौरान दिनांक 30.9.2013 तक प्रस्तुत किये जाने वाले शपथ पत्रों पर दैन्य स्टाम्प ड्यूटी में छूट प्रदान करती है।

(सं.एफ.2(70)वित्त/कर/12-55)
राज्यपाल के आदेश से,


(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, आदेश देती है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90ए या तत्समय प्रचलित धारा 90बी के अन्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास तथा अन्य स्थानीय निकायों में निहित भूमि का इन निकायों द्वारा सुरंगत विधि/नियमों के अन्तर्गत आवंटन/नियमन उपरान्त जारी पट्टों का पंजीयन दिनांक 30.9.2013 तक कराने की स्थिति में, स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्नानुसार देय होगी:-

1. यदि पट्टा विलेख स्वयं खातेदार के पक्ष में अथवा पूर्ण मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्टाम्प ड्यूटी 500/-रूपये देय होगी।
2. यदि पट्टा विलेख दिनांक 30.09.2012 तक निष्पादित अमुद्रांकित या अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित दस्तावेजों के आधार पर लीज ग्रहीता के पक्ष में निष्पादित किया जाता है तो स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज पैनल्टी की राशि एवं दो वर्ष के औसत किराये की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
3. उपरोक्त निकायों के द्वारा नियमन उपरान्त आवंटित भूखण्डों के संबंध में निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 23 व 25 के अनुसार निर्धारित 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों से पुनर्विध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 30.9.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसे विलेख/लिखत पर स्थानीय निकायों को देय राशि यथा नियमन शुल्क, रूपान्तरण शुल्क, विकास शुल्क, ब्याज, पैनल्टी की राशि को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स पर स्टाम्प ड्यूटी की प्रचलित दर से स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ 2(60)एफ.डी. / टैक्स / 12-52)

राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य पारीक)

संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013


अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (सीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित विलेख/लिखत पंजीयन के लिए निर्धारित समयावधि अर्थात् निष्पादन की दिनांक से 8 (आठ) माह की अवधि में पंजीकृत नहीं कराकर उपरोक्त निकायों/संस्थाओं/उपक्रमों से पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादित करवाकर दिनांक 30.9.2013 तक पंजीयन हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं तो ऐसे विलेखों या लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क्र. सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से दो माह पश्चात एवं चार माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत जो पुनर्वैध एवं पुनः निष्पादन की दिनांक से चार माह पश्चात एवं आठ माह की अवधि में पंजीयन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस पर कन्वेन्स की दर से।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-53)
राज्यपाल के आदेश से।


(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

जयपुर, दिनांक: 02.8.2013

अधिसूचना

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, एतद्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर सुधार न्यास, कृषि उपज मण्डी एवं मण्डी समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, राजस्थान औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड (सीको), राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ या राज्य सरकार के किसी अन्य निकाय/उपक्रम द्वारा आवंटित/विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति के संबंध में उनके द्वारा निष्पादित समस्त विलेखों/लिखतों पर देय स्टाम्प ड्यूटी घटाकर दिनांक 30.9.2013 तक सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर निम्न प्रकार देय होगी:-

क.सं.	विवरण	देय स्टाम्प ड्यूटी
1	2	3
1.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि पर कन्वेन्स की दर से।
2.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 2 माह पश्चात एवं 4 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।
3.	विलेख/लिखत निष्पादन की दिनांक से 4 माह पश्चात एवं 8 माह की अवधि में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर।	सरकार/स्थानीय निकाय/उपक्रम द्वारा ब्याज, शास्ति, दो वर्ष के औसत किराये (यदि कोई हो) आदि की राशि को सम्मिलित करते हुए प्रतिफल के रूप में ली गई कुल राशि की दो तिहाई राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर उस राशि पर कन्वेन्स की दर से।

उक्त अधिसूचना तुरन्त प्रवृत्त होगी एवं अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी का रिफण्ड देय नहीं होगा।

(सं.एफ.2(60)एफ.डी./टैक्स/12-54)
राज्यपाल के आदेश से,



(आदित्य पारीक)
संयुक्त शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

Jaipur, dated: 02.8.2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby orders that stamp duty chargeable on every intermediary unregistered and unstamped instrument of transfer of immovable property executed after allotment/sale by Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Rajasthan Housing Board, Urban Improvement Trust, Municipal Corporation, Municipal Council or Municipal Board, shall be reduced and charged on amount of original allotment instead of market value of the property, on the following conditions that:-

- (1) the leaseholder along with his lease deed shall submit a certificate before the Registering Officer issued by any of the above mentioned local authority stating therein the amount of original allotment, the number of intermediary unregistered and unstamped instruments executed in respect of the immovable property;
- (2) the Registering Officer shall ensure payment of above reduced stamp duty on every such intermediary unregistered and unstamped instrument before registering the lease deed; and
- (3) on the basis of such intermediary unregistered and unstamped instrument the lease deed shall be executed and submitted for registration upto 30.9.2013.

[No.F.2(19)FD/Tax/2007-56]

By order of the Governor,


(Aditya Pareek)

Jt. Secretary to the Government